

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

बस्तीमल पुत्र प्रतापराम जाति नाई निवासी मगरतलाव

बनाम

भवंरलाल पुत्र प्रतापराम जाति नाई निवासी मगरतलाव

दावा बाबत —बंटवारा राजकाशत 0 अधि 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 07 / 16

निर्णय दिनांक :- 11 / 05 / 2016

वादी बस्तीमल पुत्र प्रतापराम जाति नाई निवासी मगरतलाव व प्रतिवादी भवंरलाल पुत्र प्रतापराम जाति नाई निवासी मगरतलाव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11 / 05 / 2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

बस्तीमल पुत्र प्रतापराम जाति नाई सा. देह खातेदार के नाम ग्राम मगरतलाव पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 104 / 717 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म न.दो , लगान 1.68 एवं भवंरलाल पुत्र प्रतापराम जाति नाई सा. देह खातेदार के नाम ग्राम मगरतलाव पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 104 / 1 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म न.दो , लगान 1.80 एवं बस्तीमल, भवंरलाल पुत्र प्रतापराम जाति नाई सा. देह खातेदार के नाम ग्राम मगरतलाव पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 104 / 2 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म न.दो , लगान 0.12 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 11 / 05 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

क्रमांक / शिविर / 2016 /  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

( पर्वत सिंह चूण्डावत )  
(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
प्रभारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी  
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी  
दिनांक

पीठासीन अधिकारी  
(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रभारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....  
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी